न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **59/2014** दायर दिनाँक **27.03.2014**

वादीनी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. सरस्वती देवी पत्नी भंवरलाल जाति सोनी निवासी डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।		1. रामलाल पुत्र चुनाराम जाति जांगिड निवासी डिकावा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री प्रवीण प्रभाकर व श्री बलवीरसिंह, वकील, वादी।
2. श्री हीरसिंह बलारा, वकील, प्रतिवादीगण 01 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **17.01.2019**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि प्रतिवादी ने अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त के खेत खसरा संख्या 177 रकबा 21 बीघा वाके सरहद डिकावा हस्त जैल पडौस बीच का जरिये पंजीकृत शर्तीया बेचाननामा दिनांक 03.06.2009 के बएवज कीमत रूपया 3,06,600/— रू0 में वादिनी को विक्रय किया और कीमत की कुल रकम नगर प्राप्त करके कब्जा वादिनी को सुपुर्द कर दिया। इस खेत के पडौस इस प्रकार से हैः—

उत्तर में :— बालूराम कुम्हार का खेत

दक्षिण में :— भागूराम मेघवाल का खेत

पूर्व में :— आसुराम

पश्चिम में :— नरपतसिंह राजपूत

बेचाननामा की छाया प्रति वाद के साथ पेश है।

वादिनी व प्रतिवादी के बीच वक्त बेचान के यह तय हुआ था कि बेचान की दिनांक से दो वर्ष की अवधि में प्रतिवादी विक्रय के प्रतिफल की रकम मय सूद व कानूनी खर्चा के वादिनी को अदा कर देगा तो यह शर्तीया बेचान

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

निरस्त समझा जावेगा व दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी शर्त की पालना में अदायगी नहीं करने पर वादिनी इस विक्रीत खेत की खातेदारी अपने नाम से राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवा लेगी। प्रतिवादी ने उक्त शर्तीया बेचाण दिनांक 03.06.2009 की पालना में निर्धारित अवधि में कोई अदायगी नही की, जिससे वादिनी उक्त शर्तीया बेचाण दिनांक 03.06.2009 के तहत क्रय शुदा कब्जा काश्त के उक्त खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 21 बीघा वाके सरहद डिकावा की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने की हकदार है। अतः वादिनी को यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है।

वादिनी ने प्रतिवादी को उक्त खेत की खातेदारी शर्तीया बेचाण की शर्त के मुताबिक अपने नाम से अमल दरामद करवाने का कहने पर प्रतिवादी आमादा फिसाद हुआ और वादिनी को सरे आम धमकी दी की खेत पर मैं कब्जा करके किसी अन्य को बेचाण करूंगा प्रतिवादी को ऐसा करने कराने का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादी की बैजा धमकी से वादिनी को अजहद नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नकदी से नहीं हो सकेगी। अतः वादिनी को यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादिनी है कि जरिये शर्तीया बेचाननामा दिनांक 03.06.2009 के प्रतिवादी से खरीद सुदा कब्जा,काश्त के खेत खसरा संख्या 177 रकबा 21 बीघा वाके सरहद डिकावा की खातेदार घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी अमल दरामद करवाई जावें। वादिनी के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि भविष्य में वादिनी के क्रय सुदा कब्जाकाश्त व खातेदारी के उक्त खेत खसरा सं0 177 रकबा 21 बीघा वाके सरहद डिकावा में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी हस्तक्षेप अथवा हसतान्तरण न तो स्वयं करें और न किसी अन्य से करावें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 02 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 02 बावजूद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 01 की तरफ से वकील श्री हीरसिंह बलारा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 01 को जवाब हेतु कई अवसर दिये गये। परन्तु प्रतिवादी सं0 01 की तरफ से कोई जवाब पेश नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादी सं0 01 का जवाब बन्द किया जाता है।

वकील वादीनी ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधिश डीडवाना के वाद संख्या 345/2014 निर्णय दिनांक 20.02.2017 की प्रमाणित प्रतियां पेश

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

की। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार उक्त शर्तीया बेचान को निरस्त करवाने का दावा को खारिज किया गया।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक दावा तथा अनुतोष वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार उक्त शर्तीया बेचान निरस्त नहीं हुआ है। अतः वादिनी शर्तीया बेचाननामा अनुसार अपनी खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकार रखती है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, वादी अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद डिकावा के खेत खसरा संख्या 177 रकबा 21 बीघा की खातेदारी वादिनी के घोषित की जाती है तथा उक्त खसरा में प्रतिवादी सं0 01 किसी प्रकार का हस्तक्षेप दखल अन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 17.01.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 59/2014 दायर दिनाँक 27.03.2014

वादीनी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. सरस्वती देवी पत्नी भंवरलाल जाति सोनी निवासी डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।		1. रामलाल पुत्र चुनाराम जाति जांगिड निवासी डिकावा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 17.01.2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री प्रवीण प्रभाकर व श्री बलवीरसिंह, वकील, वादीनी व श्री हीरसिंह बलारा वकील, प्रतिवादीगण 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद डिकावा के खेत खसरा संख्या 177 रकबा 21 बीघा की खातेदारी वादिनी के घोषित की जाती है तथा उक्त खसरा में प्रतिवादी सं0 01 किसी प्रकार का हस्तक्षेप दखल अन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–..... .....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 15.01.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner